संख्या-आई/76745/64-1007(001)/1/2021.

दिनांक: 05 जुलाई, 2021

प्रेषक,

जनसूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी,

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्रीमती अंजिता सिंह चौहान,

ए-14 एलिशा नगर, जानकीपुरम,

नियर अकांक्षा परिसर लखनऊ 226021.

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपका पत्र दिनांक 03.04.2021 जो कि मा0 मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सम्बोधित है और जिसके द्वारा आपके पति श्री वरूण सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण जनपद गोण्डा में किये जाने का अनुरोध किया गया है, कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिस पर निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की आख्या प्राप्त की गयी। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1 के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-08/2020/आई/23872, दिनांक 21.07.2020 द्वारा श्री वरूण सिंह की जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हुए जनपद शाहजहांपुर में तैनात किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त के अनुपालन में श्री वरूण सिंह द्वारा पत्र दिनांक 13.08.2020 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है। श्री वरूण सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर का शाहजहांपुर में कार्यकाल अभी लगभग 08 माह, 03 दिन हुआ है। जनपद गोण्डा में श्री गौरव स्वर्णकार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं, जिनका कार्यकाल भी लगभग 09 माह हुआ है। निदेशक के अनुसार इस प्रकार वर्तमान में जनपद गोण्डा में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का पद रिक्त नहीं है।

उक्त वस्तुस्थिति को अंकित करते हुए पत्रावली मा0 मंत्री जी को अवलोकित करायी जा चुकी है। वर्तमान में वार्षिक स्थानान्तरण नीति प्रभावी है और स्थानान्तरण नीति के अनुसार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों का स्थानान्तरण निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है।

3- यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप संबंधित अधिनियम की धारा 19(1) के

Self attested Anjita Singh